न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी – मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2025/178

1. हलीम वल्द ख्वाज् खां, जाति मुसलमान पिंजारा
2. सलीम वल्द ख्वाज्, जाति पिंजारा मुसलमान
   निवासीगण खानपुर, तहसील खानपुर जिला झालावाड़

– अपीलांटगण

बनाम

1. रशीदन पत्नि हुसेन मोहम्मद, जाति पिंजारा मुसलमान निवासी अन्ता तहसील अन्ता जिला बारां
2. रहमत पुत्री ख्वाज् खां पत्नि यासीन, जाति मुसलमान पिंजारा निवासी भाण्डाहेडा, तहसील लाडपुरा जिला कोटा
3. रशीदन पुत्री ख्वाज् खां पत्नि मंदार बख्श जाति पिंजारा मुसलमान निवासी खानपुर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
4. शक्रन पुत्री ख्वाज् खां पत्नि ख्वाज् खां, जाति मुसलमान पिंजारा, निवासी सारोला रोड खानपुर, तहसील खानपुर जिला झालावाड(नाम डिलीट)
5. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस–1. श्री रघुवीर सिंह गौड़, अभिभाषक अपीलांट की ओर से ।
2. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।

निर्णय **दिनांक 25.09.2025**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा के प्रकरण संख्या 19/2014 मे पारित निर्णय व डिकी दिनांक 16.05.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर कथन किया कि ग्राम राजगढ तहसील सांगोद में खसरा न० 754 की 0.72 हेक्टेयर भूमि खातेदार ख्वाजू पुत्र ईलाहीबख्श जाति मुसलमान निवासी ग्राम राजगढ के नाम से दर्ज खाते है, खातेदार द्वारा अपने जीवनकाल मे उक्त खसरा नम्बर की बख्शीशनामा वादनी के हक में तहरीर कर

दिया था, तथा कब्जा आराजी वादनी को संभला दिया था, तब से वादनी कब्जे काश्त में चली आ रही है। खातेदार ख्वाजू द्वारा एक बख्शीश नामा दिनांक 7.3.2002 को वादनी के नाम तहरीर करके कब्जा रूबरू गवाहान खसरा न० 754 की 0.72 हेक्टर भूमि पर संभला दिया था, तब से वादनी कब्जे काश्त में है, तथा आज भी उक्त खसरा नम्बर की भूमि को वादनी ही बतौर खातेदार काश्तकार काश्त कर रही है खातेदार का इन्तकाल सन 2005 में हो चुका है। प्रतिवादीगण 1 ता 5 मृतक ख्वाजू के वारिसान है, तथा उक्त आराजी पर अपना हक व अधिकार उसके मरने के बाद से जताने लगे है, जबकि वादनी द्वारा उक्त खसरा नम्बर को सन 2002 से काश्त कर रही है, इस बात का इल्म भी प्रतिवादीगण को है, लेकिन प्रतिवादीगण अब उक्त आराजी पर जबरदस्ती कब्जा करने पर उतारू हो रहे है। वादनी पटवारी हल्का राजगढ़ के पास बख्शीशनामे के आधार पर मृतक ख्वाजू के स्थान पर अपना नाम दर्ज इन्तकाल करवाने गई, तो उसके द्वारा इन्तकाल न खोलकर अदालत में कार्यवाही करने को कहा है, तथा प्रतिवादीगण भी उक्त खसरा नम्बर पर अपना इन्तकाल खुलवाकर इसे बेचान करने पर आमादा है, तथा धमकी दे रहे है कि उक्त आराजी को बेचान व खुर्द बुर्द करके रहेंगे। वादनी के लिए आवश्यक हो गया है, कि उक्त खसरा नम्बर की भूमि पर बख्शीशनामे के आधार पर अपने को खातेदार घोषित करावे, तथा आराजी को बदस्तूर कब्जा काश्त रखने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबन्द करावे। प्रतिवादी कम 1 ता 5 द्वारा उक्त खसरा नम्बर की भूमि पर इन्तकाल खुलवाकर अपना नाम दर्ज करवा लिया, तथा उक्त खसरा नम्बर की भूमि को रहन बैय, दान अथवा अन्य प्रकार से खुर्द बुर्द कर दिया, तो वादनी को अपरिमित क्षति होगी, तथा बेकार की मुकदमेबाजी में उलझना पडेगा। वाद कारण बख्शीशनामे के आधार पर खसरा न० 754 की 0.72 हेक्टर पर नामान्तरण न खोलने तथा प्रतिवादीगण द्वारा उक्त आराजी को खुर्द बुर्द करने हेतु धमकी देने पर माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार मे उत्पन्न हुआ है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादनी के हक मे व प्रतिवादीगण के विरूद्व निम्न आशय की डिकी प्रदान की जावे कि :–(1). यह कि ग्राम राजगढ तहसील सांगोद की खसरा न0 754 की 0.72 हेक्टर भूमि का वादनी को खातेदार घोषित किया जावे। (2) उक्त खसरा नम्बर की भूमि पर प्रतिवादीगण का नाम दर्ज नही किया जावे, तथा दौराने दावा इन्तकाल खोल दिया जावे, तो प्रतिवादीगण को पाबन्द फरमावे, कि वे उक्त खसरा नम्बर 754 की 0.72 हेक्टर की आराजी को रहन बैय, दान अथवा किसी भी प्रकार से खुर्दबुर्द नही करे, और वादनी के शांति पूर्वक कब्जे काश्त मे किसी भी प्रकार की मदाखलत मजामहत स्वयं न करे, और न ही अपने किन्ही नौकरो व एजेन्टो से करावे। (3) अन्य न्यायोचित सहायता व वाद व्यय जिसे वादनी प्राप्त करने की अधिकारी हो, प्रदान की जावे।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16.05.2025 को वादीया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादीया को वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम राजगढ़ तहसील सांगोद

जिला कोटा की खसरा संख्या 754 रकबा 0.72 हैक्टेयर का खातेदार घोषित किए जाने तथा तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किए जाने की निर्णय व डिक्री पारित की ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.05.2025 से व्यथित होकर अपीलान्टगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.05.2025 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 16.05.2025 को निरस्त फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के विचाराधीन रहते हुए प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज अपीलांट द्वारा पुलिस अधीक्षक कोटा शहर को दिनांक 10.06.2025 दिए गए परिवार की प्रति है। उक्त दस्तावेज प्रकरण से सुसंगत है तथा अपील के न्यायिक निस्तारण में सहायक है। अतः प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लिया जाना आवश्यक है। अन्त में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया जाकर प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुद दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लिए जाने का निवेदन किया।

हमने प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी. पी.सी. व उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया। प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज प्रकरण से सुसंगत होना प्रतीत होता है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का कोई खण्डन नहीं किया गया है। अतः न्यायहित में प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लिया जाता है।

7. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने लिखित बहस प्रस्तुत की तथा अपनी बहस मे अपील मेमो व लिखित बहस में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि निर्णय एवं अंतिम डिक्री जैर

अपील विधि, न्याय एवं पत्रावली के रिकार्ड पर स्थित तथ्यों के सर्वथा प्रतीकूल होने से खारिज किये जाने योग्य है। ग्राम राजगढ तहसील सांगोद में अपीलान्टगण की खाते की व कब्जे काश्त की आराजी ख0नं0 754 की 0.72 हेक्टर भूमि ग्राम राजगढ़ में स्थित है जिस पर अपीलान्टान व रेस्पो० नं0 2 लगायत 4 उक्त वादग्रस्त आराजी के एक मात्र स्वामी होकर काबिज हैं व काश्त चले आ रहे हैं तथा वर्तमान में भी पिता व पति ख्वाजू खां पुत्र ईलाही बख्श की मृत्यु के बाद काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। जो कि रेस्पो० नं० 1 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में उकत वादग्रस्त आराजी के बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश किया जिसको दिनांक 16.5.2025 को डिकी कर दिया, जो कि रेस्पो० नं० 1 के पक्ष में बिना अपीलान्टान की साक्ष्य लिये ही व विना दस्तावेज के ही उक्त निर्णय पारित किया है जो कि हर प्रकार से निरस्तनीय है । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य की और भी कोई ध्यान नहीं दिया गया कि वादी रेस्पो० न. 1 के द्वारा माननीय अधिनस्थ न्यायालय में कोई दस्तावेज उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में पेश नहीं किया बल्कि एक फोटो कोपी बख्शीश नामा पेश किया है जिसको भी माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एक्जीबिट भी नहीं किया गया है तथा अपीलान्टगण के द्वारा उक्त दस्तावेज पर आपत्ति की जाने पर दिनांक 24.11.2020 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भी उक्त दस्तावेज को साक्ष्य में पढ़ने योग्य न होने व प्रदर्श नहीं डालने के बाबत आदेश किया हुआ है किन्तु पत्रावली पर वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में वादी रेस्पो0 नं01 के पक्ष में कोई दस्तावेज न होने पर भी अधिनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार व साक्ष्य के आदेश जेर अपील पारित किया है जो निरस्तनीय है । वादग्रस्त आराजी के दौराने वाद भी अपीलांटगण व रेस्पो० नं0 2 लगायत 4 खातेदार रहे हैं तथा वर्तमान में भी खातेदार है तथा उनके पिता व पति ख्वाज के जीवन काल में भी उक्त आराजीयात उनके खाते दर्ज रही है , किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी दस्तावेज व साक्ष्य के खातेदार के विरूद्ध निर्णय व डिकी पारित की है जो कि हर प्रकार से निरस्तनीय है । जो कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट व रेस्पो0 नं0 2 ता 4 उपस्थित हुये थे तथा अपीलांटगण द्वारा जवाब दावा भी पेश किया गया था, जिसमें रेस्पो0 नं01 द्वारा पेश किया गया कूटरचित दस्तावेज बख्शीश नामा था, तथा उक्त दस्तावेज भी माननीय न्यायालय की पत्रावली पर रिकार्ड पर नहीं लिया गया, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस बाबत तनकी बनाकर साक्ष्य वादी रेस्पो० नं0 1 के बयान दर्ज कर पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादीगण अपीलांट में रखी गई जिसके बाबत अपीलांट के वकील साहब द्वारा साक्ष्य पेश करने हेतु कोई सूचना नहीं गई जिसके कारण अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्टान खातेदार अपनी साक्ष्य पेश नहीं कर सके उनकी अनुपस्थिति में बिना अपीलान्टान को सुनवाई व साक्ष्य पेश करने का अवसर न देकर निर्णय व डिक्री बिना किसी आधार के पारित करदी गई। जो कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी रेस्पोण नं० 1 द्वारा बख्शीश नामा की छाया प्रति अनरजिस्टर्ड न नोटेरी से प्रमाणित न होने पर भी उक्त फर्जी दस्तावेज को वादी रेस्पो० नं0 1 के पक्ष में मानकर आदेश पारित करने में भारी त्रुटि की है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 2025/178 निरस्त

किए जाने तथा प्रकरण अपीलांटगण को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए जाने के निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किए जाने का निवेदन किया।

8. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादीया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम राजगढ़ तहसील सांगोद की खसरा संख्या 754 रकबा 0.72 हक्टेयर भूमि पूर्व खातेदार ख्वाजु द्वारा बक्शीश में दिनांक 07.03.2002 को प्राप्त हुई है। वादग्रस्त आराजी खातेदार द्वारा वादीया को बक्शीश की गई है। बक्शीश के वक्त वादीया को वादग्रस्त आराजी का कब्जा बक्शीशकर्ता द्वारा सुपुर्द किया गया है। बक्शीश की दिनांक से ही वादग्रस्त आराजी पर वादीया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। अपीलांटगण का वादग्रस्त आराजी पर कोई हक अधिकार एवं कब्जा काश्त नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार बक्शीश नामा का लिखित या रजिस्टर्ड होना अनिवार्य नहीं है। अपीलांटगण के मौखिक कथनों के आधार पर बक्शीशनामे को अवैध होना स्वीकार नहीं किया जा सकता है। बक्शीशनामे को निरस्त करवाने के सम्बंध में कोई वाद अपीलांटगण द्वारा आज तक किसी भी सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः उक्त बक्शीशनामा आज भी अस्तित्व में है। उक्त बक्शीशनामे को सक्षम न्यायालय से निरस्त करवाये बिना अपीलांटगण वादग्रस्त आराजी के सम्बंध में किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। उक्त बक्शीशनामे के आधार पर वादीया अपीलांट वादग्रस्त आराजी को स्वयं के खाते दर्ज करवाने की अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद को वादीया अपीलांट द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित करवाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटगण की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारान के अभिकथनों के अनुसार समुचित तनकीयात कायम की गई है। उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सी.पी.सी. के आदेश 20 नियम 5 की पालना करते हुए प्रश्नगत निर्णय व डिक्री दिनांक 16.05.2025 पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.05.2025 में किसी प्रकार की विधिक एवं प्रकियात्मक त्रुटि नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.05.2025 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है। अपनी बहस के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से न्यायिक दृष्टांत 2011 डी.एन.जे.(एस.सी.) पेज 623 प्रस्तुत किया गया। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.05.2025 यथावत रखे का निवेदन किया।

9. हमने उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली में

संलग्न दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत वाद में वादीया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम राजगढ तहसील सांगोद की खसरा संख्या 754 रकबा 0.72 हैक्टेयर भूमि के सम्बंध में हक घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। वादीया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कथन है कि वादग्रस्त आराजी खातेदार ख्वाजू पुत्र ईलाहीबख्श के द्वारा रूबरू गवाहान अपने जीवनकाल में वादीया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बक्शीश की जाकर कब्जा सुपुर्द किया गया है तथा बक्शीशनामे की दिनांक 07.03.2002 से निरन्तर आज तक वादीया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादग्रस्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। अपने कथनों के समर्थन में वादीया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा बक्शीशनामा तहरीर प्रस्तुत की है जिस पर दिनांक 07.03.2002 अंकित है तथा उक्त तहरीर पर दो गवाहान नजीर व निजामुद्दीन के हस्ताक्षर अंकित है। अपीलांटगण का कथन है कि प्रश्नगत बक्शीशनामा तहरीर अनरजिस्टर्ड एवं अनस्टॉम्पड दस्तावेज है जो फर्जी एवं कूटरचित है तथा उक्त दस्तावेज साक्ष्य में ग्राह्य भी नहीं है। अपीलांटगण का कथन है कि उक्त तथकथित बक्शीशनामे के आधार पर वादीया रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार का हक अधिकार प्राप्त करनें की अधिकारी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2068 से 2071 में ख्वाजू पुत्र ईलाहीबक्श का नाम बतौर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है तथा इसी जमाबंदी में नामान्तरकरण संख्या 364 दिनांक 20.12.2014 से मृतक ख्वाजू के स्थान पर हलीम मोहम्मद, सलीम मोहम्मद पुत्रान रशीदा बेगम रहमत पुत्रीया शकुरन बाई बेवा का नाम खाते दर्ज करने का आदेश अंकित है। अतः वादग्रस्त आराजी राजस्व अभिलेख में अपीलांटगण के खाते दर्ज रिकॉर्ड है। वादीया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रश्नगत बक्शीशनामा तहरीर दिनांक 07.03.2002 के आधार पर वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। हमारे मत में वादग्रस्त आराजी में उभयपक्षकारान के हक अधिकारों को लेकर महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न अन्तर्निहित है जिनका निर्धारण हस्तगत प्रकरण में उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए जाने के उपरांत ही किया जाना संभव है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा पेश किया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कुल पांच तनकीयात कायम की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कायम की गई तनकी संख्या 3 इस प्रकार है– "आया तथाकथित बक्शीशनामा फर्जी, कूटरचित होकर अनस्टाम्पित व अनरजिस्टर्ड होने से साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है जिससे दावा मेन्टेनेबल नहीं है।" उक्त तनकी संख्या 3 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण अपीलांटगण के जिम्मे निर्धारित किया गया है। चूंकि उक्त तनकी संख्या 3 प्रश्नगत बक्शीशनामे के फर्जी एवं कूटरचित होने तथा अनस्टाम्पड एवं अनरजिस्टर्ड होने के कारण साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होने के बिन्दु पर कायम की गई है तथा उक्त तनकी संख्या 3 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण अपीलांटगण के जिम्मे निर्धारित किया

गया है अतः ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण अपीलांटगण को तनकी संख्या 3 पर साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक था। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 30.08.2024 के अनुसार पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी में विचाराधीन थी। दिनांक 08.11.2024 को पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी हेतु नियत की गई तथा आगामी पेशी दिनांक 29.11.2024 नियत की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29.11.2024 की कोई आदेशिका कायम किए बिना ही दिनांक 10.12.2024 को साक्ष्य प्रतिवादी बन्द किए जाने का आदेश प्रदान किया गया तथा प्रतिवादी की साक्ष्य लिए बिना ही पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। अतः हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण अपीलांटगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया तथा अपीलांटगण की साक्ष्य लिए बिना ही दिनांक 16.05.2025 को प्रश्गनत निर्णय व डिक्री पारित की गई है जो सी.पी.सी. के आदेश 20 नियम 5 के अनिर्वाय प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किए जो योग्य है। हमारे मत में अपीलांटगण को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए जाने के उपरांत ही हस्तगत प्रकरण में किसी न्यायसंगत निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए जाने के निर्देशों के साथ प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रपिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

10. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा के प्रकरण संख्या 19/2014 में पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 16.05.2025 निरस्त की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलांटगण एवं अन्य पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए सी.पी.सी. के आदेश 20 नियम 5 की पालना करते हुए नवीन निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई हेतु दिनांक 03.11.2025 को स्वयं उपस्थित रहे।

11. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलंब लौटाई जाए।

12. निर्णय आज दिनांक 25.09.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

25/9/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा